क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक – 15 | अगस्त 1-15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-4

बिजली वितरण का निजीकरण – झूठे दावे और वास्तविक उद्देश्य

भारत में बिजली पर वर्ग संघर्ष पर लेखों की श्रृंखला में यह पांचवां लेख है

यदि सरकार बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में पेश करती है तो लगभग 27 लाख बिजली मज़दूर देश भर में हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार बिजली वितरण के निजीकरण की अपनी योजना को लागू न करे।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 में राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को अपने बिजली के तारों के नेटवर्क निजी कंपनियों को मामूली शुल्क पर प्रदान करने के लिए मजबूर करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक धन से निर्मित बिजली वितरण नेटवर्क पूंजीपतियों को उपयोग करने के लिए लगभग मुफ़्त में दिया जा रहा है, ताकि वे बिजली वितरण के व्यवसाय से अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा सकें।

विधेयक में सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। हर ग्राहक से बिना किसी सब्सिडी के पूरी दर से शुल्क लिया जाएगा। ग्राहकों की किसी श्रेणी को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी.) योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जैसा कि रसोई गैस सिलिंडर के मामले में किया जाता है। बिजली के पूरे दाम पर वसूलने का सीधा असर करोड़ों किसानों पर पड़ेगा। इसीलिये किसान बिजली संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तीन कृषि विधेयकों को निरस्त करते समय केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनसे परामर्श किए बिना बिजली बिल में संशोधन नहीं किया जाएगा।

बिजली के निजीकरण के विरोध में पावर क्षेत्र के मज़दूर

बिजली वितरण के निजीकरण का समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी, जिससे सस्ती दरों पर अधिक कुशल और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति होगी। अब तक जीवन का अनुभव इन दावों के विपरीत रहा है। ओडिशा पहला राज्य है जहां बिजली निजीकरण की योजना लागू की गयी थी। वहां निजी वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से कुशलता में कोई सुधार नहीं हुआ या परिचालन घाटे में कमी नहीं आई। मुंबई में बिजली की आपूर्ति दो निजी और एक सार्वजनिक कंपनी करती हैं; जबकि मुंबई में बिजली की दरें देश की सबसे ऊंची दरों में हैं।

बिजली वितरण के निजीकरण के समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों के बीच चुनने की स्वतंत्रता होगी। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में टाटा और रिलायंस घरानों के एकाधिकार वाली दो कंपनियों का नियंत्रण है। ग्राहकों के पास कंपनी चुनने का कोई विकल्प नहीं है। वे किसी न किसी निजी कंपनी के एकाधिकार के आधीन हैं।

यही हाल मुंबई का भी है जहां पर अदानी पावर और टाटा पावर एक ही इलाके में बिजली का वितरण करते हैं। टाटा पावर, अदानी पावर के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इससे ग्राहकों को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होता है। इसके विपरीत, दोनों इजारेदारों ने 12 से 14 रुपये प्रति यूनिट की दर को लागू करके यहां पर बिजली को देश की सबसे महंगी बिजली बना दी है। यह दावा झूठा है कि वितरण का निजीकरण उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनी चुनने की स्वतंत्रता देगा। यह दावा केवल इसीलिये किया जा रहा है ताकि निजीकरण के लिये समर्थन जुटाया जा सके।

शेष पृष्ठ 3 पर

हनुमानगढ़ की नोहर तहसील क्षेत्र में
सिंचाई के पानी के लिये किसानों का संघर्ष जारी

जुलाई के दूसरे सप्ताह में किसानों ने नोहर में महापंचायत आयोजित की जिसमें 3000 से भी अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। जून, 2022 के अखिरी सप्ताह से हनुमानगढ़ की नोहर तहसील क्षेत्र में सिंचाई के पानी के लिये किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यह धरना नोहर-सिरसा सड़क मार्ग पर चक संख्या-7 के जी.एस.एन. के पुल के पास चल रहा है। यह धरना संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित किया गया है, जिसमें अनेक संगठन शामिल हैं।

सिंचाई के पर्याप्त पानी की मांग के साथ-साथ किसानों की मांग है कि नोहर फीडर के सी.पी.-4 पर पूरा 332 क्यूसेक पानी दिया जाये, रेगुलेशन सही करवाया जाये, नहरों का पुनर्निर्माण करवाया जाये, नहरों में से सिल्ट निकलवाई जाये, पानी की चोरी को रोकने के लिये पुख्ता इंतजाम किये जायें, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान का प्रतिनिधि शामिल किया जाये, आदि।

इस बार किसान आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिये मन बना चुके हैं। बार-बार आश्वासन देने और समझौता वार्ता करने के बाद भी सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण किसान बहुत गुस्से में हैं। सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी न मिलने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं।

किसानों ने संघर्ष के दौरान पहले क्रमिक अनशन किया, फिर आमरण अनशन शुरू किया और इसके बाद चक्का जाम भी किया। इन परिस्थितियों में किसानों ने आगे के संघर्ष की योजना बनाने तथा नई रणनीति बनाने के लिए एक महापंचायत बुलाई है।

लोक राज संगठन के सर्व हिन्द उपाध्यक्ष ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है और उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने को लेकर जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

किसानों की इस महापंचायत को संयुक्त किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम कुमार सारण, सरदार गुरमेल सिंह, एडवोकेट राजेंद्र सिहाग, एम.पी.-11 के अध्यक्ष काशी राम डूकिया, हनुमान सियाग, ओमप्रकाश बिजारणिया, पूर्व पंचायत समिति प्रधान अमर सिंह पूनिया, लोक राज संगठन की सर्व हिंद उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, आदि ने संबोधित किया।

http://hindi.cgpi.org/22445

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) **पर जायें और साइडबार में लेखों को सुनें पर क्लिक करें।**

अंदर पढ़ें

- विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2
- बीमा कर्मियों ने अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की 3

विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन :

सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां विश्व व्यापार के नियम निर्धारित करती हैं

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12–17 जून, 2022 को संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और यह सम्मेलन आमतौर पर हर दो साल में एक बार होता है।

सोवियत संघ के पतन और दुनिया के दो–ध्रुवीय विभाजन के अंत के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में विश्व साम्राज्यवाद द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेरिस चार्टर के अनुसार, अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों ने उस समय यह मांग की थी कि सभी देश "मुक्त बाज़ार" के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। यानी उन्हें विदेशी कंपनियों, विदेशी सामानों और विदेशी पूंजी के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना होगा। सभी देशों पर उन नीतियों को आगे बढ़ाने का दबाव डाला गया, जो नीतियां वैश्विक वित्त पूंजी को विश्व अर्थव्यवस्था पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की अनुमति दें।

दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक इजारेदार विश्व व्यापार पर अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिये विश्व व्यापार संगठन को एक साधन बतौर इस्तेमाल करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन, विभिन्न विरोधी शक्तियों के बीच मिलीभगत और विवाद, दोनों ही रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय से ही अमरीका अपने नियंत्रण में एक–ध्रुवीय दुनिया बनाने की अपनी तमन्ना को हासिल करने के लिए इस संगठन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। विश्व व्यापार संगठन ने अमरीका के इजारेदार पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की है। अन्य साम्राज्यवादी शक्तियां – यूरोपीय संघ, चीन, रूस, हिन्दोस्तान, ब्राजील, आदि अपने इजारेदार पूंजीपतियों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हैं। इस हक़ीक़त को याद रखने की ज़रूरत है कि इन वार्ताओं और समझौतों में दुनिया के सभी देशों के मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों की अधिकांश जनता के व्यापक हितों को हमेशा पैरों तले रौंदा जाता है।

कृषि

विश्व व्यापार संगठन में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक कृषि रहा है। अमरीका और यूरोपीय संघ कृषि व्यापार की अपनी इजारेदार कंपनियों को सब्सिडी देते हैं ताकि ये कंपनियां दूसरे देशों के बाज़ारों में अपने कृषि उत्पादों का बेहद कम क़ीमत पर ढेर लगा सकें और उन देशों के बाज़ारों पर कब्ज़ा कर सकें।

अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमरीका और यूरोपीय संघ, दुनिया के कम विकसित देशों पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वे कृषि उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करें।

इस सम्मेलन के दौरान भी कृषि व्यापार से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई।

कृषि उत्पादों के व्यापार में विश्व स्तर पर, हिन्दोस्तान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। हिन्दोस्तान के

अमरीकी टैरिफ के ख़िलाफ़ स्पेन के तेल उत्पादक डब्ल्यू.टी.ओ. का विरोध करते हुए

इजारेदार पूंजीपति जो कृषि व्यापार से जुड़े हैं, घरेलू बाज़ार और विश्व बाज़ार में, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करना चाहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में हिन्दोस्तानी प्रतिनिधि के रुख़ को समझते समय इस हक़ीक़त को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन की बातचीत के दौरान हिन्दोस्तानी प्रतिनिधि ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी सार्वजनिक ख़रीद नीति का बचाव किया, जिसे डब्ल्यू.टी.ओ. में सब्सिडी माना जाता है। वर्तमान में हिन्दोस्तान विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी बिल कृषि समझौते (ए.ओ.ए.) द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा (उसके कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत) का उल्लंघन कर रहा है। यह अमरीका और यूरोपीय संघ को स्वीकार नहीं है। अपने सार्वजनिक खाद्य भंडार (जिसे सरकार द्वारा समर्थन मूल्य देकर कृषि उत्पादों को सीधे किसानों से ख़रीदा जाता है इसलिए इसे सब्सिडी माना जाता है) से खाद्य निर्यात करने की अनुमति देने की हिन्दोस्तान की मांग को 2023 में होने वाले अगले मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के लिए टाल दिया गया।

ई–कॉमर्स लेन–देन

हिन्दोस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने ई–कॉमर्स लेन–देन पर सीमा शुल्क पर रोक लगाने वाले समझौते की अवधि को बढ़ाने का विरोध किया है। ई–कॉमर्स लेन–देन पर सीमा शुल्क की हिन्दोस्तान की मांग, हिन्दोस्तानी ई–कॉमर्स कंपनियों के हितों में की जाने वाली एक मांग है जो घरेलू बाज़ार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं। हिन्दोस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस समझौते के कारण 2017–2020 के बीच विकासशील देशों ने केवल 49 डिजिटल उत्पादों से ही आयात पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का संभावित राजस्व खो दिया।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने पहली बार 1998 में अमरीकी ई–कॉमर्स इजारेदार कंपनियों के हित में, इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन पर कस्टम शुल्क नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। इन ई–कॉमर्स इजारेदार कंपनियों के मुनाफ़े सुनिश्चित करने के लिए तब से आज तक, समय–समय पर इस समझौते की अवधि के समाप्त होने से पहले एक और समझौते के द्वारा इस अवधि को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। विभिन्न देशों के काफी विरोध के बावजूद, इस सम्मेलन में यह सहमति हुई कि ई–कॉमर्स लेन–देन पर लगने वाले सीमा शुल्क पर यह रोक 2023 में होने वाले अगले सम्मेलन तक जारी रहेगी। इससे ई–कॉमर्स के दिग्गजों को फ़ायदा होगा जो आज वैश्विक ई–कॉमर्स के व्यापार पर हावी हैं। इस समय कस्टम शुल्क पर रोक लगाने के समझौते की अवधि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली है, यदि इस समझौते का एक बार फिर से नवीनीकरण नहीं किया गया तो।

कोविड–19 वैक्सीन उत्पादन

हिन्दोस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने अक्तूबर 2020 में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें टीकों, दवाइयों और औषधीय उत्पादों के उत्पादन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.) के कार्यान्वयन, आवेदन और प्रवर्तन से अस्थायी छूट की मांग की गई थी। प्रस्ताव में तर्क पेश किया गया था कि इस तरह के आई.पी.आर. के कारण दुनिया के आम लोग आवश्यक टीकों और दवाइयों की पहुंच से वंचित हो जायेंगे क्योंकि ये टीके और दवाइयां उनकी खरीदने की हैसियत से बाहर होंगे। इस प्रस्ताव को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लगभग 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था।

इस बैठक में हिन्दोस्तान अपने प्रस्ताव के ज़रिये, हिन्दोस्तानी दवा कंपनियों और टीके बनाने वाली कंपनियों की मांगों को उठा रहा था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दोस्तानी दवा कंपनियों ने विशाल घरेलू बाज़ार के अलावा अफ्रीका और दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में अपने लिए एक बड़ा बाज़ार स्थापित कर लिया है। हिन्दोस्तान की टीका बनाने वाली कंपनियां, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टीका निर्माता बन गई हैं। उन्होंने कोविड संकट के दौरान टीकों के उत्पादन से भारी मुनाफ़ा कमाया है।

हालांकि, हिन्दोस्तानी कंपनियों के पास कोविड के टीके का या कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का या अन्य दवा सामग्री के लिए कोई भी पेटेंट नहीं है। यह फार्मा उद्योग से जुड़े हुये हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के हित में है कि वे कोविड से संबंधित टीकों और दवाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की छूट की मांग करें।

जैसा कि अपेक्षित था, अमरीका और यूरोपीय फार्मा इजारेदारों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। इस बातचीत के दौरान अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों द्वारा उठाये गए क़दमों से यह साफ़ देखने को आया।

बहुत ही गहन चर्चा के बाद, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अंततः 5 साल के लिए कोविड–19 के टीकों के पेटेंट पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को अस्थायी रूप से माफ़ करने पर सहमत हुए। यह छूट कोविड रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं पर लागू नहीं है। यह केवल टीकों के लिए ही लागू है।

"हानिकारक" मछली पालन सब्सिडी पर सीमाएं निर्धारित करना

विश्व व्यापार संगठन ने एक बहुपक्षीय समझौता पारित किया, यह समझौता वैश्विक मछली स्टॉक की रक्षा के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर "हानिकारक" सब्सिडी पर अंकुश लगाएगा। 2001 से अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बातचीत चल रही है। ओवरफिशिंग से तात्पर्य उन मछलियों का तेज़ी से दोहन

शेष पृष्ठ 4 पर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.)

जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (जी.ए.टी.टी., जिसको गैट के नाम से जाना जाता है) को बदलने के लिए कई वार्ताओं के बाद, डब्ल्यू.टी.ओ. आधिकारिक तौर, पर 1 जनवरी, 1995 को मराक्कश समझौते के तहत शुरू हुआ, जिसे 15 अप्रैल, 1994 को 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।

जबकि गैट मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, विश्व व्यापार संगठन और इन समझौतों में सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार संबंधित समझौते भी शामिल किये गये हैं। विश्व व्यापार संगठन के जन्म ने विवादों के निपटारे के लिए नई प्रक्रियाओं का भी निर्माण किया है। इस समय दुनिया के 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं।

विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के लिए छः समझौते बाध्यकारी हैं।

1. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाला समझौता
2. माल और निवेश – गैट 1994 और व्यापार से संबंधित निवेश उपायों सहित माल के व्यापार से संबंधित बहुपक्षीय समझौते
3. सेवाएं – सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
4. बौद्धिक संपदा – बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स)
5. विवाद–निपटाने से संबंधित उपाय (डी.एस.यू.)
6. सरकार की व्यापार नीतियों की समीक्षा (टी.पी.आर.एम.)

बीमा कर्मियों ने दो दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की

सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के 58,000 कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों के समर्थन में 27–28 जुलाई को दो दिवसीय हड़ताल पर जाने के अपने फैसले की घोषणा की है। हड़ताल की कार्रवाई की घोषणा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा की गई है। मुख्य मांग यह है कि सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन एक नए मज़दूरी समझौते पर बातचीत करे और वेतन को संशोधित करे।

मज़दूर यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पिछला वेतन समझौता अगस्त 2012 में हस्ताक्षरित किया गया था और अगस्त 2017 में यह समाप्त हो गया था। तब से, प्रबंधन और यूनियनों

बीमा कर्मियों का प्रदर्शन (फाइल फोटो)

के बीच कोई नया वेतन समझौता नहीं किया गया है। मज़दूर यूनियन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार जानबूझकर सामान्य बीमा कंपनियों में वेतन संशोधन से बच रही है। यह जानबूझकर इन कंपनियों को समाप्त करने, उन्हें घाटे में चल रही कंपनियों में बदलने और उन्हें निजी एकाधिकार पूंजीपतियों को सौंपने की नीति का हिस्सा है। मज़दूरों को वीआरएस लेने और कंपनियों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इससे पहले, मज़दूर यूनियनों ने घोषणा की थी कि वे 15 जुलाई को हड़ताल पर चले जाएंगे। जब सरकार ने घोषणा की थी कि वह उनकी मांगों पर विचार करेगी तो उन्होंने हड़ताल के आह्वान को स्थगित कर दिया था। लेकिन सरकार ने मज़दूरों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के मज़दूरों की यूनियनों ने 27–28 जुलाई को हड़ताल का आह्वान किया है।

http://hindi.cgpi.org/22463

बिजली उत्पादन का निजीकरण – झूठे दावे और वास्तविक उद्देश्य

पृष्ठ 1 का शेष

वितरण के निजीकरण की सफाई में दिए गए तर्कों में एक यह है कि इससे वितरण घाटा कम होगा, बिलों के संग्रह में सुधार होगा, जिससे बिजली सस्ती हो जाएगी। राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को पुराने उपकरणों को बदलने, वितरण के वर्तमान बुनियादी ढांचे का रख–रखाव करने व इसको उन्नत करने के लिए जरूरी धन नहीं दिया जाता है। यही देश में अत्याधिक वितरण घाटे का एक प्रमुख कारण है। चूंकि वितरण करने वाली निजी कंपनियां राज्य के स्वामित्व वाले मौजूदा बुनियादी ढांचे का ही उपयोग कर रही हैं, इसीलिये निजीकरण द्वारा वितरण घाटे को कम नहीं किया जा सकता। यह दावा भी झूठा है।

बिजली वितरण के निजीकरण का कार्यक्रम पिछले 25 सालों से एजेंडे पर है। गांवों के किसानों से लेकर शहरों में कामकाजी परिवारों तक, इसका व्यापक विरोध हो रहा है। जिसके कारण शासक वर्ग ने पाया है कि निजीकरण के कार्यक्रम में बिजली का निजीकरण करना सबसे कठिन है।

1990 के दशक के दौरान, केंद्र सरकार ने विश्व बैंक और उसकी तथाकथित विशेषज्ञ टीम को विभिन्न राज्य सरकारों के साथ यह नीतिगत संवाद करने की अनुमति दी थी कि बिजली बोर्डों में कैसे सुधार किया जाये। इसका उद्देश्य बिजली बोर्डों के व्यवसाय के विभिन्न हिस्सों में निजी कंपनियों के लिए जगह बनाना था।

इस कार्यक्रम में पहला कदम राज्य बिजली बोर्डों को तीन हिस्सों में – उत्पादन, पारेषण और वितरण की अलग–अलग संस्थाओं में तोड़ना था। इसे "अनबंडलिंग" कहा गया। इसका उद्देश्य था कि इजारेदार पूंजीवादी कंपनियां अलग–अलग हिस्सों को एक–एक करके हासिल कर सकें।

बिजली मज़दूर देख सकते थे कि राज्य बिजली बोर्डों को तोड़ना निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार के इस तरह के विभाजन को अंजाम देने के फ़ैसले का मज़दूरों ने कड़ा विरोध किया। जनवरी 2000 में सभी यूनियन एक साथ आईं और 80,000 से अधिक बिजली मज़दूरों ने काम बंद कर दिया। राज्य सरकार द्वारा उनके दमन से दूसरे राज्यों के बिजली मज़दूर नाराज़ हो गए और सभी ने एकजुटता के साथ एक दिन के लिए काम बंद कर दिया।

बिजली अधिनियम 2003 के द्वारा पूरे देश में राज्य बिजली बोर्डों को तोड़ने (अनबंडलिंग करने) का और प्रत्येक राज्य में नियामक आयोगों की स्थापना का कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। बिजली मज़दूरों ने इन परिवर्तनों का विरोध करना जारी रखा। 2003 के अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद भी, कई राज्य अपने बिजली बोर्डों को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। केरल और हिमाचल प्रदेश के मज़दूर बिजली बोर्ड को तोड़ने को रोकने में सफ़ल रहे। इन सभी राज्यों में, बिजली बोर्ड को उत्पादन, पारेषण और वितरण करने वाला एकल निगम में बदल दिया गया।

राज्य बिजली बोर्ड बहुत लंबे समय से ख़राब वित्तीय स्थिति में हैं। राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र की दखलांदाजी ने बिजली वितरण में अत्याधिक भ्रष्टाचार को जन्म दिया था। विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहकों को बिना कोई बिल दिए बिजली की आपूर्ति की जा रही थी या बिल बनाए जाते थे, लेकिन उनके भुगतान नहीं किए जाते थे। विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहकों को बिलों के भुगतान नहीं करने के लिए कनेक्शन काटे नहीं जाते थे। राजनीतिक तौर पर प्रभावी लोग राज्य बिजली बोर्डों को लूट कर भाग सकते थे। इसके अलावा, पुराने उपकरणों को बदलने के लिए धन की कमी के कारण ट्रांसमिशन (पारेषण) और वितरण घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी।

इजारेदार पूंजीपतियों ने अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों की ख़राब वित्तीय स्थिति को हल करने के लिए सार्वजनिक धन और प्रशासनिक ऊर्जा का इस्तेमाल न करने का फ़ैसला किया। इसके बजाय, उन्होंने इसका इस्तेमाल बिजली वितरण के निजीकरण की सफ़ाई पेश करने के लिए किया। विश्व बैंक के साथ निकट परामर्श में लिए गए इस फ़ैसले के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर दिया गया है। उनमें से अधिकांश के पास अब तक बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों और नगर निकायों से भुगतान का भारी बकाया जमा हो गया है। उन्हें अपने संचालन के प्रबंधन के लिए हर साल उधार लेना पड़ रहा है। वे कर्ज़ के चंगुल में फंसते जा रहे हैं जिससे वे खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं।

इजारेदार पूंजीपति राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों की गंभीर स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं। वे बिजली बोर्डों द्वारा पहले से निर्मित नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम कीमतों पर इस तरह के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल प्राप्त करने से, उन्हें इस तरह के विशाल नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, जरूरी पूंजी की बचत होगी और साथ ही इसके निर्माण के लिये जरूरी वक़्त भी बच जाता है।

भारत में बिजली वितरण संविधान की समवर्ती सूची में आता है। यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण के निजीकरण पर जोर देने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। कई राज्य सरकारों ने कम या ज्यादा हद तक बिजली वितरण का निजीकरण किया है। इजारेदार पूंजीपति बेसब्री से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में लागू होने वाला कानून पारित करे, जो उन्हें राज्य बिजली बोर्डों के बिजली वितरण नेटवर्क को आसानी से ले लेने की अनुमति देगा।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 इजारेदार पूंजीपतियों की इन मांगों को पूरा करता है। यह बिजली वितरण में बहुत ही कम निवेश करने पर भी, पहले से स्थापित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके भारी मुनाफा कमाने के उनके उद्देश्य को मान्यता देता है। यह किसानों और गरीब शहरी परिवारों की बिजली सब्सिडी में कटौती करने की उनकी मांगों के अनुरूप है। इसे श्रमिकों और किसानों के जनसमूह के व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा है।

चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, इन केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को मज़दूरों और उपभोक्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में, ग्राहकों को अपने आपूर्तिकर्ता को चुनने के लिए विकल्प देने के दावे को भुला दिया गया है और वितरण को एकाधिकारी कंपनी को सौंप दिया गया है।

फरवरी 2022 में बार–बार हड़ताल करके मज़दूरों ने चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण को अब तक सफलतापूर्वक रोक रखा है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में बिजली की दरें उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम होने की ओर इशारा करते हुए ग्राहकों का समर्थन मांगा है। इसके विपरीत सरकार गोयंका समूह को पूरा विभाग बेचना चाहती है। गोयंका समूह की बिजली वितरण करने वाली कंपनी कोलकाता में चंडीगढ़ दर से तीन गुना दर पर बिजली बेच रही है।

फरवरी 2022 में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों द्वारा भी इसी तरह का संघर्ष किया गया था, जिसने सरकार को यह आश्वासन देने के लिए मजबूर किया कि उनसे परामर्श किए बिना कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। चूंकि सरकार अब अपने आश्वासन से मुकर रही है, मज़दूरों ने निजीकरण के ख़िलाफ़ अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ बिजली की राज्य पारेषण उपक्रम का एक संयुक्त उद्यम बनाकर और बाद में इसे एक निजी कंपनी को सौंपकर निजीकरण का प्रयास किया गया था। दिसंबर 2021 में जम्मू–कश्मीर के बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों ने आंदोलन में अपनी फौलादी एकता का प्रदर्शन किया। वे जम्मू–कश्मीर के लोगों के समर्थन से इस जन–विरोधी प्रयास को हराने में सफ़ल रहे।

बिजली वितरण के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ होता जा रहा है। बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के प्रयासों को अन्य सभी मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों का तहे दिल से समर्थन मिलना चाहिए। यह इजारेदार पूंजीपतियों और अधिकतम मुनाफे की लालच को पूरा करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति और सेवाओं के निजीकरण के उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ एक आम संघर्ष है।

http://hindi.cgpi.org/22439

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी, **खाता संख्या**–20066800626
ब्रांच नं.–00974, IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.- 9868811998, email: mazdoorektalehar@gmail.com

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Aug, 2022 Date of publish - 1 Aug, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

कर्नाटक के सफाई कर्मचारियों ने
नौकरियों की नियमितीकरण की लड़ाई में जीत हासिल की

कर्नाटक के हजारों सफाई कर्मचारी 1 जुलाई 2022 से अपनी नौकरियों की नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इन सफाई कर्मचारियों (जिन्हें पौरकर्मीका कहलाया जाता है) में मुख्य तौर पर महिला मज़दूर शामिल हैं। इस हड़ताल की वजह से सफाई के काम पर असर केवल बेंगलुरु के 198 वार्ड पर ही नहीं बल्कि कर्नाटक के सभी जिलों पर पड़ा।

कर्नाटक सफाई कर्मचारी कवल समिति, बी.बीएम.पी पौरकर्मीका संघ, कर्नाटक प्रगतिपाड़ा पौरकर्मीका संघ के साथ सफाई कर्मचारियों के अन्य यूनियन ने साथ मिलकर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का नेतृत्व किया। 4 जुलाई, 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार उन सफाई कर्मचारियों

को नियमित कर्मचारी की नौकरी देगी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। सरकार के इस आश्वासन के बाद हड़ताल को वापस बुला लिया गया।

सफाई कर्मचारियों को बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे दस्ताने, पीने का पानी और शौचालय जाने की सुविधा भी नहीं दी जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 14000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी दिन–प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी बहाने हर महीने उनके वेतन से 1000 से 2000 रुपए काट लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, नियमित सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 33,000 से 40,000 रुपए मिलता है।

सफाई कर्मचारी कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। मार्च 2017 में, कर्नाटक की पिछली सरकार ने कुछ सफाई कर्मचारियों की नौकरियां नियमित की थी। हालांकि ज्यादा कर्मचारियों को तब भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा गया था। उनकी नौकरियों को नियमित करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए उनका संघर्ष बिलकुल जायज़ है।

http://hindi.cgpi.org/22465

जम्मू के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कर्मियों ने
ठेका मज़दूरों को नियमित करने की मांग की

जम्मू क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जल शक्ति) के कर्मचारी 22 जून से लंबी हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हड़ताल ने जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर पानी की आपूर्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

हड़ताल का आयोजन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कर्मचारी संयुक्त मोर्चा (जम्मू प्रांत) के बैनर तले किया गया है। मज़दूरों की मांग है कि सरकार मज़दूरों द्वारा उठाए गए लंबित मुद्दों का समाधान करे। विशेष रूप से, वे मांग कर रहे हैं कि सरकार उन

मज़दूरों को नियमित करे जो ठेका मज़दूर के रूप में कार्यरत हैं और जिन्हें दैनिक रेटेड मज़दूर कहा जाता है।

मज़दूर यह भी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाई जाए और पीएचई मज़दूरों की मजदूरी दी जाए जो पिछले 70 महीनों से लंबित हैं। मज़दूरों की यह भी मांग है कि सरकार अधिक मज़दूरों को नियुक्त करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग का काम ठीक से किया जा सके।

http://hindi.cgpi.org/22455

विश्व व्यापार संगठन का ...

पृष्ठ 2 का शेष

करने से है, जो अपनी संख्या को खुद को फिर से बढ़ाने में असमर्थ हैं (वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार इस संख्या की सीमा कुल संख्या का 34 प्रतिशत है)।

अमरीका, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि की मछली पकड़ने वाली विशाल कंपनियां, दुनिया के महासागरों में चारों ओर घूमती हैं और विभिन्न देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम करती हैं। ये कंपनियां ओवरफिशिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं। हालांकि ये कंपनियां खुलेआम ऐसा करने में सक्षम हैं क्योंकि उन्हें अपनी सरकारों का समर्थन प्राप्त है। हमेशा से विश्व व्यापार संगठन में "ओवरफिशिंग" के ख़िलाफ़ अभियान के पीछे विभिन्न देशों के छोटे मछुआरे रहे हैं।

मछुआरों के हितों के लिए लड़ने का मुद्दा हिन्दोस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ छोटे मछुआरों के हित हैं तो दूसरी तरफ मछली पकड़ने के आधुनिक तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली बड़ी हिन्दोस्तानी कंपनियों के हित हैं। हिन्दोस्तान ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर प्रस्ताव के उस खंड का विरोध किया जिसमें छोटे स्तर पर मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर धमकी दी गई थी। इन देशों ने तर्क पेश किया कि अमरीका, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बड़े निगमों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करनी चाहिए।

हिन्दोस्तान ने सब्सिडी हटाने के लिए दो साल की संक्रमण अवधि को स्वीकार कर लिया है। यह समझौता हिन्दोस्तान को इस तरह की सब्सिडी देने की अनुमति देता है जब तक कि मछली पकड़ने का काम, उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में होता है।

http://hindi.cgpi.org/22434

निष्कर्ष

विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन ने यह खुलासा किया कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक इजारेदारों के हित में ही विश्व व्यापार के नियम निर्धारित किये जाते हैं। अमरीका, यूरोपीय संघ के देशों, जापान, चीन आदि के प्रतिनिधियों ने अपने देशों के इजारेदार पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। हिन्दोस्तानी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने भी ऐसा ही किया। इन देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत की और साथ ही साथ लड़ाई भी लड़ी, परन्तु इन समझौतों में सभी देशों के मज़दूरों और किसानों के हितों को नुक़सान ही है।

http://hindi.cgpi.org/22434

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की 25 जुलाई से हड़ताल

छत्तीसगढ़ अधिकारी – कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों के 28 संगठन संयुक्त रूप से हड़ताल की अगुवाई कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते, आवास और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 25 से 28 जुलाई तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। 29 जून को करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे।

http://hindi.cgpi.org/22453